



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

कैंप कार्यालय, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के निकट, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176215
Camp Office, Near HPCA Cricket Stadium, Dharamshala, District Kangra (HP)-176215
Phone No. 01892-229574; Fax No. 01892-229331; E-mail : registrar.cuhp@gmail.com

रोजगार सूचना: 001/2017

दिनांक: 27 मई, 2017

शिक्षकेतर पदों के लिए भर्ती

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला द्वारा सीधी भर्ती आधार पर भरे जाने वाले निम्नलिखित शिक्षकेतर पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

'वर्ग-क' पद:			
क्र म	पद	वेतनमान	पद / पदों की संख्या
1.	वित्त अधिकारी	वेतनमान Rs. 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन Rs. 10,000/-	01 (अनारक्षित)
2.	पुस्तकालय-अध्यक्ष (लाइब्रेरियन)	वेतनमान Rs. 37,400-67,000 + ग्रेड वेतन Rs. 10,000/-	01 (अनारक्षित)
3.	उप पुस्तकालय-अध्यक्ष (डिप्टी लाइब्रेरियन)	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 7,600/-	01 (अनारक्षित)
4.	उप कुलसचिव	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 7,600/-	02 (अनारक्षित)
5.	कार्यपालक अभियंता (सिविल)	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 6,600/-	01 (अनारक्षित)
6.	सहायक कुलसचिव	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 5,400/-	01 (अनारक्षित) [PWD-OH (OA, OL,BL)]
7.	चिकित्सा अधिकारी	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 5,400/-	02 (अनारक्षित) (1 पुरुष & 1 महिला)
8.	इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट	वेतनमान Rs. 15,600-39100 + ग्रेड वेतन Rs. 5,400/-	01 (अनारक्षित)
'वर्ग-ख' पद:			
9.	निजी सचिव	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,600/-	02 (अनारक्षित)
10.	सुरक्षा अधिकारी	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,600/-	01 (अनारक्षित)
11.	सहायक अभियंता (सिविल)	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,600/-	01 (अनारक्षित)
12.	वैयक्तिक सहायक	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित)
13.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित)
14.	प्रोफेशनल असिस्टेंट	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित) (PWD-HH)
15.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित)
16.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक कंप्यूटर	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित)

क्रम	पद	वेतनमान	पद / पदों की संख्या
17.	नर्स	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,600/-	01 (अनारक्षित)
18.	सुरक्षा निरीक्षक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,800/-	01 (अनारक्षित)
'वर्ग-ग' पद:			
19.	सेमी-प्रोफेशनल असिस्टेंट	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,800/-	01 (अनारक्षित)
20.	फॉर्मसिस्ट	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,800/-	01 (अनारक्षित)
21.	तकनीकी सहायक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,800/-	04: (03-अनारक्षित), एवं (01-SC)
22.	प्रवर श्रेणी लिपिक (यूडीसी)	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,400/-	02 (अनारक्षित)
23.	पुस्तकालय सहायक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,000/-	02 (अनारक्षित)
24.	प्रयोगशाला सहायक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,000/-	05 (अनारक्षित-03, SC-01, अ.पि.व.-01)
25.	अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी)	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	11 (अनारक्षित-07, भूतपूर्व सैनिक 01, अ.पि.व.-02, अनु.जाति-01)
26.	अवर श्रेणी लिपिक (छात्रावास के कार्य की देखभाल हेतु)	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	01 (अनारक्षित)
27.	अवर श्रेणी लिपिक (गेस्टहाउस के कार्य की देखभाल हेतु)	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	02 (अनारक्षित-01, अनु.जाति- 01)
28.	हिंदी टंकक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	01 (अनारक्षित)
29.	रसोईया	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	02 (अनारक्षित)
30.	चालक (ड्राइवर)	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,900/-	05 (अनारक्षित-03, अनु.जाति- 01, अ.पि.व.-01)
31.	मल्टी टास्किंग स्टाफ / कार्यालय परिचर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	06 (अनारक्षित-04, अनु.जाति- 01, अ.पि.व.-01)
32.	प्रयोगशाला परिचर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	04 (अनारक्षित-04) [-01- PWD- OH(OL, OA, BL), अ.पि.व.-01, अनु.जाति-01
33.	पुस्तकालय परिचर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	02 (अनारक्षित)
34.	चिकित्सा परिचर/ड्रेसर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	01 (अनारक्षित)
35.	रसाई परिचर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	02 (अनारक्षित)
36.	छात्रावास परिचर	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	02 (अनारक्षित)

डॉ. अंबेडकर पीठ के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति / कॉन्ट्रैक्ट आधार पर संस्वीकृत पद (निम्नलिखित पद 05 वर्षों अथवा पीठ के साथ को-टर्मिनस अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए भरे जाएंगे)			
1.	अनुसंधान अधिकारी	वेतनमान Rs. 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन Rs. 6,000/-	01 (अनारक्षित)
2.	आशुलिपिक (ग्रेड-I) / वैयक्तिक सहायक	वेतनमान Rs. 9,300-34,800 + ग्रेड वेतन Rs. 4,200/-	01 (अनारक्षित)
3.	चपरासी	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	01 (अनारक्षित)
दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति / कॉन्ट्रैक्ट आधार पर संस्वीकृत पद (निम्नलिखित पद विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र के साथ को-टर्मिनस अवधि, जो भी पहले हो, तक के लिए भरे जाएंगे)			
1.	तकनीकी सहायक	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 2,800/-	01 (अनारक्षित)
2.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ	वेतनमान Rs. 5,200-20,200 + ग्रेड वेतन Rs. 1,800/-	01 (अनारक्षित)

अन्य शर्तें:

- पदों को भारत सरकार के यथा लागू आरक्षण मानकों के अनुसार भरा जाएगा ।
- **वित्त अधिकारी** के पद को **सीधी भर्ती / प्रतिनियुक्ति आधार पर** भारत सरकार के नियमों के अनुसार **पांच वर्षों के लिए** अथवा 62 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए भरा जाएगा ।
- डॉ. अंबेडकर पीठ के अंतर्गत पदों को 05 वर्षों अथवा पीठ के साथ को-टर्मिनस अवधि के लिए, जो भी पहले हो, भरा जाएगा ।
- दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अंतर्गत पदों को विनिर्दिष्ट अविधि अथवा केन्द्र के साथ को-टर्मिनस अवधि के लिए, जो भी पहले हो, भरा जाएगा ।
- अनिवार्य अर्हताओं और अन्य विवरण के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in को देखें ।
- **ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05.07.2017 है ।**
- आवेदन शुल्क: सामान्य श्रेणी के लिए 500/- रु.; अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 400/- रु.
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिला / निःशक्त व्यक्तियों (PWD) के लिए कोई शुल्क देय नहीं है ।
- भुगतान किए गए शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा ।
- अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन और शुल्क जमा रसीद की प्रति अपने पास रखी जानी चाहिए । **अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में आवेदन फॉर्म की हॉर्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है ।** तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को इसे प्रस्तुत करना होगा ।
- **नियमित आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) द्वारा शासित होंगे ।**

सामान्य अनुदेश:

1. यहां ऊपर इंगित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है । यदि परिस्थितियों के तहत आवश्यक हो, विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विज्ञापित पद को बिना कारण बनाए किसी भी समय वापस ले सकेगा । विश्वविद्यालय को किसी पद को भरने अथवा नहीं भरने का भी अधिकार होगा और इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा ।
2. केवल पात्रता होने मात्र से कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार / कौशल परीक्षण / लिखित परीक्षा में बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाएगा ।
3. आवेदकों द्वारा **केवल ऑनलाइन प्रणाली** से आवेदन किया जाना चाहिए । **निर्धारित प्रणाली के अलावा किसी और रूप में प्राप्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा ।**

4. भारत सरकार के नियमों / अनुदेशों के अनुसार वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है ।
5. जिन पदों के लिए प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती / कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन का प्रावधान किया गया है, इन पदों के लिए आवेदकों को आवेदन की रीति स्पष्ट करनी होगी अर्थात् क्या वह प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती अथवा कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ।
6. विश्वविद्यालय में वर्ग 'क' के सभी पदों के लिए भर्ती 'स्क्रीनिंग कमिटी' की संस्तुतियों के अनुसार पात्रता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों में से विधिवत गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।
7. वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' श्रेणियों और सभी समकक्ष पदों पर भर्ती तर्कण योग्यता, गणित अथवा सरल अंकगणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी/ सामान्य हिंदी, टिप्पणी और प्रारूपण अथवा कोई अन्य विषय की हिंदी / अंग्रेजी अथवा दोनों माध्यमों में लिखित परीक्षा अथवा वृत्तिक परीक्षण / कौशल परीक्षण / शारीरिक परीक्षण आयोजित कर की जाएगी । तथापि, वृत्तिक परीक्षण / कौशल परीक्षण / शारीरिक परीक्षण केवल अर्हत (क्वालीफाइंग) प्रकृति का होगा । मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा ।
8. लिखित परीक्षा / साक्षात्कार (जहां भी लागू हो) के लिए केवल शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा । विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के लिए युक्तियुक्त सीमा निर्धारित कर सके । ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित **स्क्रीनिंग कमिटी** द्वारा किया जाएगा ।
9. अभ्यर्थियों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत अंतिम तिथि अर्थात् **05.07.2017** के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।
10. विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु-सीमा यूजीसी / डीओपीटी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद द्वारा समय-समय पर संवर्ग-भर्ती नियम में यथानिर्धारित होगी ।
11. इस विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारियों, जो भी सीधी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, पर आयु की शर्त लागू नहीं होगी । तथापि, उन्हें सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा ।
12. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि किसी पद के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें । इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा ।
13. आवेदन किए जाने वाले **प्रत्येक पद के लिए आवेदन शुल्क** (यदि लागू हो) के साथ **अलग-अलग आवेदन** जमा कराया जाना चाहिए ।
14. विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय पूर्ववृत्त अथवा नियुक्ति के समय अथवा सेवाकाल के दौरान जमा कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकेगा । यदि यह पाया जाता है कि जमा कराया गया दस्तावेज जाली है अथवा अभ्यर्थी का पूर्ववृत्त / पृष्ठभूमि संगुप्त है तथा उस सूचना को छिपाया गया है तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएगी ।
15. सरकार / अर्द्ध-सरकारी संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / राज्य सरकार में सेवारत आवेदकों द्वारा अपने नियोक्ता से जारी अनापत्ति प्रामाण-पत्र (NOC) को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दिए गए कॉलम में अवश्य अपलोड किया जाना चाहिए । अनापत्ति प्रमाण-पत्र का फॉर्मेट संलग्न है । अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बिना अपलोड किए गए आवेदन को तुरंत ही अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
16. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के समय सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा ।
17. किसी भी रूप में अनुयाचन (कैन्वसिंग) से अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी ।
18. **अपूर्ण आवेदनों, अपेक्षित शुल्क के बिना आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा ।**
19. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है ।
20. किसी विवाद, वाद अथवा विश्वविद्यालय के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के मामले में भूभागीय अधिकारिता जिला न्यायालय, धर्मशाला और उच्च न्यायालय, शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश के न्यायालयों तक सीमित होगी ।
21. चयन की प्रक्रिया में अनजाने में हुई भूल के मामले में, जो किसी चरण में, चाहे वह नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद भी हो, विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थियों को किए गए पत्र-व्यवहार को परिवर्तित / वापस / रद्द कर सके ।